



बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या- FC-1014

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 05/10/2017

विषय- परमात्मा कुमार सिंह गोपालगंज जिलान्तर्गत भागीपट्टी-समौर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.00615 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति (Stage - II) के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/25319/2017/1268, दिनांक 01.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 19.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 01.10.2016 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008.....	NPV के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.00615 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 3,850/- (तीन हजार आठ सौ पचास रुपये) मात्र को Account No. 15062199253192017890, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.09.2017 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN517258056297 है।

3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The State Government shall plant 50 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Indigenous tree species should be preferred for such plantation. The user agency shall transfer the cost of plantations and its maintenance for 10 years.....	हरितावरण को बनाये रखने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1610, दिनांक 11.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर कुल राशि रु० 4,11,082/- (रु० चार लाख ग्यारह हजार बिरासी) मात्र Account No. 15062199253192017890, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.09.2017 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN517258056297 है।
5	The State Government shall deposit Net Present Value and all other funds through e-challan , with the Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Account No. 15062199253192017890, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, Bangalore में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.09.2017 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
6	User Agency should submit the original FRA certificate prior to the issuance of final approval.	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA - 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न है।
7	State Government shall upload the details of compensatory levies demanded and received	Compensatory levies demanded and received को Ministry website पर अपलोड कर दिया गया है।
8	Felling of trees on the forest land being diverted shall be restricted to the bare minimum and the trees should be felled	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

(c)	Entire Periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary,....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि रिटेल आउटलेट पम्प के भीतर 1.0 से 1.5 मी. वृक्षारोपण किया जायेगा।
(d)	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त अन्य खाली जगहों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
11	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय वन अच्छादित भू खण्ड के समीप से मिट्टी नहीं काटी जायेगी और न ही कोई वस्तु का संग्रहण किया जायेगा।
12	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि नियोजित मजदूर/कर्मचारी निर्माण के समय किसी तरह का वन को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। प्रस्तावित स्थल के पास Flora or Fauna उपलब्ध नहीं है।
13	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित भू: खण्ड/वन भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, बिना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नहीं करेंगे।
14	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances be transferred to any other agency,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित वन भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटित/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (Assignment) नहीं किया जायेगा।
15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
16	The user agency and the State Government shall ensure	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
17	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय राँची, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रबंधन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.00615 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC - 1014

दिनांक- 05/10/2017

प्रतिलिपि : वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को सूचना हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC - 1014

दिनांक- 05/10/17

प्रतिलिपि : श्री परमात्मा कुमार सिंह, पिता- श्री रामदेव सिंह, ग्राम- महन्थवा, पोस्ट- छितौना, थाना- कट्या, जिला- गोपालगंज, पिन कोड- 841 425 को सूचना हेतु प्रेषित।

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।